**फर्द अहकाम**

**(नियम 26)**

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| **प्रार्थी / अपीलांट** | **बनाम** | **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट** |
|---|---|---|
| श्री महिपालसिंह<br>निवासी कुम्हार मौहल्ला<br>सांतपुर तहसील आबूरोड<br>जिला सिरोही। | | सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही |

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं.25 वर्ष 2026

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.02.2026 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 30.07.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सांतपुर में सरपंच पद पर सामान्य वर्ग के लिए सीट आरक्षित किए जाने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट का गांव विगत 30–35 वर्षो से टीएसपी क्षेत्र में आते हुए लगातार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहा है। इस दौरान सामान्य वर्ग से संबंधित कई योग्य, शिक्षित व समाजसेवा से जुड़े युवाओं को सरपंच जैसे पदों पर कार्य करने का कोई अवसर नहीं मिल पाया। हमारी ही संसद और मंचों पर कहा जाता है कि "जिस दिन हर गाँव, हर ढाणी से एक युवा पंच और सरपंच निकलेगा, तभी देश तरक्की करेगा।" हम उसी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इस बार पंचायत चुनाव में सरपंच पद की सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने के सम्बन्ध में सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 30.07.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सांतपुर में सरपंच पद पर सामान्य वर्ग के लिए सीट आरक्षित किए जाने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट का गांव विगत 30–35 वर्षो से टीएसपी क्षेत्र में आते हुए लगातार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहा है। इस दौरान सामान्य वर्ग से संबंधित कई योग्य, शिक्षित व समाजसेवा से जुड़े युवाओं को सरपंच जैसे पदों पर कार्य करने का कोई अवसर नहीं मिल पाया। हमारी ही संसद और मंचों पर कहा जाता है कि "जिस दिन हर गाँव, हर ढाणी से एक युवा पंच और सरपंच निकलेगा, तभी देश तरक्की करेगा।" हम उसी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इस बार पंचायत चुनाव में सरपंच पद की सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/निर्वाचन/सू.अ./2026/359 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि सरपंचों का आरक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 में वर्णित नियमों के अनुरूप पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार लौटरी के माध्यम से किया जाता है। अतः सरपंचों के आरक्षण निर्धारण के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से अपीलांट की अपील सारहीन प्रतीत होती है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>(अल्पा चौधरी)<br>**जिला कलक्टर, सिरोही** | |